अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

1.2 प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता

1.3 समस्या कथन

1.4 शोध के उद्देश्य

1.5 शोध परिकल्पनाएँ

1.6 अध्ययन में प्रयुक्त शब्द का अर्थ

1.7 अध्ययन में प्रयुक्त चर

1.8 अध्ययन की सीमायें

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

भारतीय परम्परा रही है कि किसी भी कार्य की शुभ शुरूआत प्रार्थना से होती है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित हेतु दोनों ही रूपों में हमारे समाज में प्रार्थना का प्रचलन वैदिक काल से ही है।

प्रार्थना शब्द प्र+अर्थ+ल्यूट् प्रत्यय से बना हुआ है। जिसका अर्थ होता है– विंनती करना, निवेदन या स्तृति करना। किसी विद्वान महात्मा, गुरू, अग्रज, माननीय, श्रद्धेय या ईश्वर के चरणों में कुछ निवेदन किया जाता है– भाषा कोई भी हो यथा गाकर, कविता के माध्यम से या गद्य के माध्यम से सभी तरीके प्रार्थना मे समाविस्त माना जाता है। इस चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी विशेषकर मानव जब कष्टों, संकटो मुसीबतों व दुःख से पीड़ित होकर निराकार व विश्वसनीय शक्ति का असहाय बनकर सहारा चाहता है। मन को शांति मिले मन में उठने वालों विचारों का तुफान समाप्त होकर केवल मात्र नित प्रभु की माधुरी लीला में खो जाना चाहता है। निष्काम भाव अनाशक्त भाव चित की एकाग्रता व शान्त वातावरण में अपने आपका तादात्म्य प्रार्थना है।

प्रार्थना से मानव कुछ अवधि के लिए अपने गम भुलाकर प्रभु की सुन्दर छवि में तल्लीन हो जाता है। उस अवधि में वह सांसारिक बंधनों, क्षणिक सुखो से छुटकारा पाकर वह शांति व पवित्रता का अनुभव करते हुए

विकास की ओर अग्रसर होता है, प्राचीन काल से ही प्रार्थना का महत्व हमारे देश में प्रभावी रहा है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रार्थना एक धार्मिक मूल्य है किसी सभ्य समाज के लिए शिक्षा प्राण है तथा मूल्य उसकी आत्मा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का अन्तर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। अभिप्राय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करना है। किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उसके द्वारा संजोए गए स्वप्नों की यर्थाथता का परिचायक है। मनुष्य को आदर्श, चरित्रवान, नैतिक रूप से सशक्त बनाने का यदि कोई उपाय है तो वह है, मूल्य परक शिक्षा।

मूल्य परक शिक्षा का बीजारोपण परिवार से होता है। विद्यालयों में उसका पल्लवन होता है। तथा समाज का वातावरण में उसे सात्विकता मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा पर समाज का, समाज पर मूल्यों का और मूल्यों पर समाज की अमिट छाप रहती है। नैतिकता का जाप करने से नैतिकता नहीं आती। बल्कि बालकों में नैतिकता के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देना चाहिए कि शिक्षा लेते समय स्वयं ही नैतिकता की अनुभूति कर सके।

वास्तव में शिक्षा का मूलाधार व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं एवं विचारधारा होती है। विद्यालय, शिक्षा का एक सशक्त साधन है। इसकी समस्त गतिविधियाँ बालकों में मूल्यों का विकास करने में महत्वूपूर्ण भूमिका अदा करती है। बालक के संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत करने में सहायक होती है। मूल्य परक शिक्षा के माध्यम से ही हम बालकों में सहयोग, सहानुभूति, परोपकार, भातृत्व की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, स्वाभिमान,

श्रम की महत्ता, न्याय, आत्म-विश्वास, आत्म-नियंत्रण सेवाभाव तथा ईमानदारी और मानवतावाद की भावना विकसित कर सकते हैं। मूल्य परक शिक्षा लच्छेदार भाषण देने से या कक्षाओं में बैठकर योजना बनाने से संभव नहीं है। मूल्यपरक शिक्षा की पृष्ठभूमि में तो कर्तव्यपरायणता, त्याग, सहयोग, सहनशीलता, विनम्रता, समता आदि गुणों की आवश्यकता होती है। इन गुणों का अनुपालन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करें इसके लिए व्यक्ति स्वयं अभिभावक, परिवार, समुदाय और शिक्षा संस्थाये अपने-अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करें।

विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (एन.सी.ई.आर.टी. 2000) में प्रारंभिक और उच्चत्तर माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों में नैतिकता व मूल्यों पर आधारित शिक्षा के प्रति सचेतना लाने के लिए निम्नांकित प्रयास शालाओं में करने चाहिए।

1. विद्यालयी सभा और समूह गान तथा मौन एवं ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए।
2. पैगम्बरों, संतो एवं पवित्र धर्मग्रंथो से जुड़ी रूचिकर कथाओं और जीवनियों का वर्णन करना चाहिए।
3. शिक्षक या अतिथि वक्ता द्वारा प्रातः कालीन सभा में ज्ञानयुक्त पुस्तकों एवं महान् साहित्य के अंशो का वाचन एवं उपयुक्त संबोधन करना चाहिए।

गांधीजी के शब्दों में कहे तो "अगर भारत को अध्यात्म शून्य नहीं बनाना है तो यहाँ के युवकों को धार्मिक शिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना धर्म निरपेक्ष शिक्षण।"

इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि मूल्यों के विकास के लिए विद्यालयों में धार्मिक मूल्यों के रूप में प्रार्थना का महत्व ही अनन्य है।

अतः प्रार्थना के महत्व को स्वीकार करके ही पाठ्यचर्चा 2005 शांति शिक्षा में प्रार्थना को विद्यालय के दैनन्दिन कार्यक्रमों में स्थान दिया गया है। प्रतिदिन विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ होने से पूर्व विद्यादेवी एवं सरस्वती की पूजा आराधना व प्रार्थना होती है। इसे निर्विवाद रूप से प्रत्येक विद्यालय में स्वीकार किया गया है। प्रार्थना मानसिक रूप से विद्यालयों की गतिविधियों में बालक को एकाकार होने का माध्यम है। प्रार्थना का तात्पर्य केवल प्रभु तक अपना आवाज को सुनाना नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीखना है और सिखाना है।

प्रार्थना के महत्व को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधीजी ने कहा है कि -

" .... दिन का काम प्रार्थना से शुरू कीजिए और उसमें इतनी आत्मा उड़ेलिए कि वह शाम तक आपके साथ बनी रहे। दिन का अन्त भी प्रार्थना के साथ कीजिए ताकि आपकी रात शांतिपूर्वक तथा स्वप्नों तथा दुःस्वप्नों से मुक्त रहें। प्रार्थना के स्वरूप की चिंता न कीजिए। स्वरूप कुछ भी हो, वह ऐसा होना चाहिए, जिससे भगवान के साथ हमारे मन का लौ लग जाए। इतना ध्यान रखिए की स्वरूप कैसा भी हो, मगर आपके मूंह से प्रार्थना का शब्द निकलते समय आपका मन इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए।"**(भाषण साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में)**

माध्यमिक शिक्षा आयोग" (1952-53) ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि "प्रत्येक विद्यालय की दिनचर्या का आरंभ शिक्षकों व छात्रों की

असेम्बली से होना चाहिए। जहाँ प्रतिदिन के कार्यो का घोषणा होती हो। इस सभा का सद्प्रयोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रेरणास्पद वार्तालाप से किया जाना चाहिए'' श्री प्रकाश समिति (1956) ने प्राथमिक स्तर पर इसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहा कि ''प्रतिदिन की सभा में प्राथमिक विद्यालयों में समूह गान, सरस कहांनियाँ, महापुरूषों की जीवनी दर्शाने वाली दृश्य–श्राव्य सामग्री आदि का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

प्रार्थना एक मान्य विधान है, उसका स्वरूप सुनिश्चित है। स्कूल ने प्रार्थना को एक दैनिक रस्म की तरह स्वीकार किया है। प्रार्थना की मनः स्थिति और मुद्रा को स्कूल ने बदलने की जगह आत्मस्थान कर लिया है। इसलिए प्रार्थना रोज होती है, हर स्कूल में होती है, इसलिए कुछ होने का आभास देती है। प्रार्थना का प्रयोजन उसकी घोषित भावना का वास्तविकता, मनोवैज्ञानिक व्यंजनाएं क्या है? ऐसे प्रश्न स्कूल से संबंध ज्यादातर लोगों के मन में नहीं उठते। उनके लिए प्रार्थना इतनी प्रवित्र रस्म है कि उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती।

एक धर्म या संप्रदाय के नाम और पैसे पर चलने वाले स्कूलों में प्रार्थना की जरूरत समझी जा सकती है, किन्तु देश को लाखों सरकारी स्कूलों तथा नगरपालिका जैसी स्वायत संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भी प्रार्थना प्रतिदिन की जाती है। धर्मनिरपेक्ष तथा जनतंत्री शासन द्वारा नियंत्रित स्कूलों में प्रार्थनाएं किसकी अर्भ्यना करती है? उनके आराध्यों की आकृति कैसी है? यदि ये आराध्य धर्म निरपेक्ष है तो ये किन मूल्यों के समाहार है? इस तरह के आधारभूत प्रश्न पूछना भारतीय सामाजिक जीवन में स्कूल स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य है। इन प्रश्नों के सहारे ही यह जाना जा सकता है। कि भारत में स्वाधीनता के

बाद स्वीकार किए गए राष्ट्रीय मूल्यों ने बच्चों की शिक्षा को किस हद तक तथा किस तरीके से प्रभावित किया है।

विद्यालयी प्रार्थना विद्यालय के सभी सदस्यों में शांति और शक्ति का संचार करती है। इतना ही नहीं, प्रार्थना के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में उन संस्कारों को विकसित करने का प्रयास करता है जिन्हें हम जीवन मूल्य यानी विनम्रता, शिष्टता और अनुशासन कहते हैं। प्रार्थना के द्वारा विद्यालय के सभी सदस्यों में नैतिक बल और आत्मबल जागता है। प्राचार्य और शिक्षकगण मिलकर प्रार्थना सभा में विविधता और रोचकता लाकर प्रभावी संचालन करके प्रार्थना सभा को प्रभावशाली बना सकते हैं।

इन सभी सुझावों के अनुरूप विद्यालयी प्रार्थना आयोजित की जाती रही है अथवा नहीं, यह स्पष्ट रूप से कहना तो कठिन है, परन्तु समस्त विद्यालय में प्रार्थना का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाता रहा है, लेकिन प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करवानी है, यही दो बिन्दु प्राचीन काल से चले आ रहे है हमारी संस्कृति की विरासत के रूप में लेकिन ऐसा कोई उत्तराधिकारी न मिला कि जिसने पूछा हो कि क्या है ये विद्यालय रूपी प्रार्थना ?

सभी क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थनाएं करवाई जा रही है। क्या वे हमेशा के लिए समान विचार, संपूर्ण एवं सर्वजनहिताय रही है ? वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं का बोलबाला बढ़ गया है। एक छोटे से गांव में चल रहा सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठीक सामने इंग्लिश मीडियम का एल.के. जी., यू.के.जी. का विद्यालय खुला है, दोनों में प्रार्थनाऐं होती है मगर सरकारी विद्यालय में करवाई जाती है हिन्दी माध्यम में। दूसरी और अंग्रेजी माध्यम में प्रार्थना के साथ अंग्रेजी में प्रतिक्षा। प्रार्थना बच्चों द्वारा की जाती

है और प्रशासन द्वारा करवाई जाती है। अध्यापकों द्वारा प्रार्थना क्रियाकलापों का जाल बिछाया जाता है। प्रार्थना स्थल को एक सूचना केन्द्र के समान मानना भी कटु सत्य है। अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने आदेशों एवं निर्देशों को समाज तक पहुँचाने में मद्द करता है। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भी प्रार्थना स्थल का उपयोग सार्थक सिद्ध होता है। धर्मनिरपेक्ष भारतीय मूल में भावात्मक रूप से विद्यालय समुदाय में बालक को जोडने में प्रार्थना एक सक्रिय साधन है। समाज से समुदायों में आए अनेक भिन्नताओं वाले बालक-बालिकाओं की एक रूपता, प्रार्थना स्थलो पर ही देखने को मिलती है। एक वेशभूषा, एक स्थान पर एकत्र होना, विभिन्न धर्म संप्रदायों से जुड़े होते हुए भी अमूर्त से प्रार्थना करना इसी प्रार्थना गतिविधि से देखी जा सकती है अगर हमें विभिन्नता में एकता देखनी है वे धर्म निरपेक्षता के अमूर्त दर्शन करने हैं तो वह आपको विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर ही होगें। विद्यालय की गतिविधियों में प्रार्थना गीत का सर्वोच्च स्थान है। नियमित रूप से उच्चारण करना प्रार्थना की नियती है। प्रार्थना मुल्यांकन करती है अनुशासन का, प्रार्थना विद्यालय गतिविधियों में सर्वोपरि है। प्रार्थना का कवरेज रूपको के माध्यम से राष्ट्रीयता के मूल तत्वों द्वारा सरल से सरल शब्दों में रचित हो। अलग-अलग परिवेशों से मिलकर बालकों रूपी मूर्तियों में एकता और धर्मनिरपेक्षता की भावना रूपी बीजो का अंकुरण होता है प्रार्थना रूपी खेतों में।

एक ही स्वर, एक ही स्थान, एक ही गति, एक ही साथ उच्चारित करना, सामुहिकता की भावना को पुष्ट करता है। एक ही ड्रेस में एक ही कदम ताल से एहसास होता है - अनुशासन का। नियमित रूप से की जानेवाली अनुशासनात्मक प्रार्थना से प्रस्फूटित होता है- स्वानुशासन की

भावना। इस प्रकार विकसित होने वाले गुणों एवं क्रियाओं से बालक का जीवन सजता है, संवरता है जिसके आधार पर अपने भावी जीवन को खड़ा करने का सपना साकार करती है– प्रार्थना।

प्रार्थना गीत–संगीत मयी हो। प्रार्थना हो निरप्रेक्ष्यवादी, जो राष्ट्रीय मूल्यों की पहचान करवा सके। संस्कार मानव समाज की सांस्कृतिक रीढ़ है। प्रार्थना संस्कार युक्त हो, जो मानव समाजरूपी भवन को संस्कारित प्रार्थनारूपी ईट के आधार पर ही खड़ा किया जा सकता है। संस्कारित प्रार्थना के माध्यम से ही बालक देश का भावी कर्णाधार बनता है। देश की सांस्कृतिक विरासत को संचारित करता हैं, राष्ट्रीयता के नवीन मूल्यों का संवर्धन करता है। असामाजिकता का नाश करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। विखण्डन और विनाश से अमूर्त के सहारे बचाने का सराहनीय प्रयास है। हमारा समाज एवं स्कूल ऐसी प्रार्थना से लाभान्वित होता रहे जो सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण हो।

"प्रार्थना के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधीजी ने प्रार्थना को आत्मा की खुराक कहा है।" मनुष्य के मन की शांति के लिए यह साधन महत्वपूर्ण है। जिस तरह शरीर की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है उसी तरह मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना अतिआवश्यक है। प्रार्थना से ही योग्य वातावरण का निर्माण होता है।

प्रार्थना का मनुष्य के पार्थिव जीवन में असीम महत्व है। प्रार्थना के यही रहस्य को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रार्थना करवाई जाती है। लेकिन विद्यालय की प्रार्थना आकर्षक, सुरूचिपूर्ण, संस्कारमय एवं मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाली होना चाहिए, वह

बालमनों के अनुरूप होनी चाहिए। जिससे वह धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति, प्रेम सद्भाव जैसे गुणों को विकसित कर सकें।

1.2 प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता :–

विद्यालय की गतिविधियों के प्रारंभ का आधार प्रार्थना को ही क्यों चुना गया? क्या प्रार्थना आज के नये परिपेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा में अब भी महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् समस्त छात्रों को प्रार्थना हेतु निर्देशित किया जाता है। अतः वे अनुशासन भाव से उसमें भाग लेते है लेकिन किसी को यह नहीं पता कि प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? विद्यालय में प्रार्थना क्यो करवाई जाती है? प्रार्थना किस प्रकार से होनी चाहिए? बच्चो को प्रार्थना करने में रूचि है या नहीं? प्रार्थना कितनी बार और कितने समय की होनी चाहिए? प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है? प्रार्थना में कौन–कौन सी प्रवृत्तियां होनी चाहिए? प्रार्थना कैसे वातावरण में करना चाहिए? प्रार्थना से धर्मनिरपेक्षता या देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है या नहीं?

यह सभी प्रश्नों के उत्तर अनुसंधान से ही मिल सकते हैं। अतः शोधार्थी ने इस शोध कार्य चयन किया।

1.3 समस्या कथन :–

"प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।"

1.4 शोध कार्य के उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना की अवधि, समय और प्रकृति की तुलना करना।
2. प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।
3. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।
4. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।
5. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।
6. छात्र एवं छात्राओं के शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।
7. ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति की तुलना करना।
8. शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति की तुलना करना।
9. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एव छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति की तुलना करना।
10. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति की तुलना करना।

1.5 शोध परिकल्पानाऐं :–

1. प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. छात्र एवं छात्राओं के शालेय प्रार्थना के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.6 अध्ययन में प्रयुक्त शब्द का अर्थ :–

1. शालेय प्रार्थना :–

शालेय प्रार्थना से तात्पर्य शालाओं में होने वाली प्रतिदिन की सामूहिक प्रार्थना से है।

2. अभिवृत्ति :–

अनुसंधानों की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण विषयों व वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है कुछ अभिवृत्तियाँ अल्पावास्था में सीखी जाती है और स्थिर बनी रहती है। कुछ परिवर्तित होती है और किशोरावस्था और युवावस्था में अर्जित की जाती है और बदलती रहती है।

अभिवृत्ति का आशय विद्यालय द्वारा व्यक्त मत से लिया गया है या व्यक्ति का दृष्टिकोण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, विचार या स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता है। यह पूर्व धारणा होती है जो उनके प्रति स्वीकारात्मक या नकारात्मक ढ़ंग से प्रतिक्रियायें करवाती है।

अभिवृत्ति अनुभवों पर आधारित है और इसका विषय सदैव विशिष्ट रहता है। अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को विषयवस्तु की ओर प्रेरित करती है और प्रतिकुल प्रवृत्ति उससे दूर जाने के लिए प्रेरित करती है।

1.7 अध्ययन में प्रयुक्त चर :–

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित चर प्रयुक्त किये गये है।

स्वतंत्र चर :–

लिंग – छात्र/छात्राएँ

क्षेत्र – ग्रामीण/शहरी

कक्षा – सातवीं/दसवीं

आश्रित चरः– – शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति

1.8 अध्ययन की सीमायें :–

किसी अनुसंधान या शोध–कार्य की विश्वसनीयता एवं परिशुद्धता के लिए उसका एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक होता है, चुँकि एक निश्चित क्षेत्र के माध्यम से ही शोधकार्य व्यवस्थित एवं सटिक हो सकता है जिसके फलस्वरूप अच्छे एवं विश्वसनीय फल प्राप्त होते हैं। अतः प्रस्तुत शोध का सीमांकन इस प्रकार किया गया है।

1. यह अध्ययन विद्यार्थियों की शालेय प्रार्थना अभिवृत्ति तक ही सीमित है।
2. यह अध्ययन वलसाड जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं सुरत जिले के शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है।
3. यह अध्ययन सातवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।
4. यह अध्ययन गुजराती माध्यम के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।